न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 159/2023

नत्थू राम पुत्र श्री गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. शिवनारायण पुत्र श्री गोपी राम जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल– निवासी 2/321, हाउसिंग बोर्ड, शिव मन्दिर के पीछे, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा	प्रार्थी
2. श्री विक्रम बिश्नोई	अप्रार्थी संख्या 1 व 2

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.06.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 1 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/24 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 5, 6, 7/1, 14 से 17, 24 व 25 व मुरब्बा नम्बर 44/33 में कुल 2.113 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि है। प्रार्थी का पेशा खेती है तथा उक्त भूमि प्रार्थी स्वंय काश्त करता है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी चक 1 पी बड़ी के इसी मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से पश्चिम दिशा में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर इसी मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21, 22 व 23 की दक्षिण दिशा में घरू तौर पर छोड़े गए 12 फीट चौड़े रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 24 में प्रवेश करता है। उक्त मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21/2, 22/1, 23/2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

का रकबा स्वंय प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम से बहिस्सा बराबर, किला नम्बर 23/1 का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम से तथा किला नम्बर 21/1 व 22/2 का रकबा प्रार्थी के भाई, अप्रार्थी संख्या 2 शिवनारायण के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने व कृषि औजार के परिवहन का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करते रहे, मगर अब दिनांक 10.06.2023 को अप्रार्थीगण से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उन्होने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थी को धमकी है कि हम इस रास्ता को बन्द करेगें। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बन्द कर दिया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने का एकमात्र विकल्प समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बन्द करने से व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने से निषिद्ध रहें। प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को डी एल सी दर के अनुसार दोगुना राशि बतौर क्षतिपुर्ति अदा करने के लिए तैयार है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए स्वंय प्रार्थी व अप्रार्थीगण के रकबा चक 1 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21, 22 व 23 की दक्षिण दिशा में (पश्चिम से पूर्व) 0.019 है0–0.019 है0–0.019 है0 रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा 1 पी बड़ी के खाता संख्या 7/7 मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 21/2 का 0.013 है0, 22/1 का 0.013 है0 तथा 23/2 का 0.013 है0 तथा खाता संख्या 8/5 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 23/1 में से 0.006 है0 रकबा तथा खाता संख्या 67/75 के मुरब्बा नम्बर 12 का किला नम्बर 21/1 में से 0.006 है0 व 22/2 में से 0.006 है0 रकबा को बतौर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से जवाब प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी के नाम चक 1 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 12 व 44/33 में 2.113 हैक्टयर भूमि होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत शुद्धा रास्ता होना स्वीकार है । प्रार्थी ने इस पैरा में मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 21 ता 23 की दक्षिणी दिशा में 12 फुट का रास्ता घरू तौर पर छोड़ा जाना गलत अंकित किया है जो स्वीकार नही है। मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 21/2, 22/1, 23/2 में 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी नत्थूराम व अप्रार्थी ओमप्रकाश की है, उक्त भूमि दोनों की संयुक्त भूमि है और मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 2 ता 4, 7 ता 9, 13 ता 18 व किला नं.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

23/1 में 0.240 है0 अप्रार्थी ओमप्रकाश व प्रार्थी नत्थूराम की बहिस्सा बराबर कृषि भूमि है। किला नं. 21, 22 व 23 प्रत्येक में 1–1 बिस्वा भूमि प्रार्थी नत्थूराम व अप्रार्थी ओमप्रकाश ने अपनी भूमि में प्रवेश करने के लिए संयुक्त रखी हुई है और इस संयुक्त 1–1 बिस्वा भूमि में से आवागमन कर अप्रार्थी ओमप्रकाश व प्रार्थी नत्थूराम अपनी भूमि आसानी से काश्त कर सकते है और अन्य कोई रास्ता की आवश्यकता नही है। तहसील रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि किला नं. 21 ता 23 में से कभी कोई रास्ता चालू नही है। इस पैरा में शेष कथन प्रार्थी ने गलत दर्ज किये है जो स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज किया गया है गलत होने से स्वीकार नही है । प्रार्थी की भूमि पूर्व में ही रास्ता पर स्थित होने से प्रार्थी को रास्ता स्वीकार करवाने का प्रश्न पैदा नही होता है और न रास्ता बन्द करने का प्रश्न पैदा होता है। इस पैरा में प्रार्थी ने कुल तथ्य गलत दर्ज किये है जो स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी निराधार होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी की भूमि मुरब्बा नं. 12 के किला नं. 24 व 25 व अन्य भूमि है। मुरब्बा के किला नं. 21, 22 व 23 में प्रार्थी व ओमप्रकाश अप्रार्थी की संयुक्त भूमि है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी किला नं. 21, 22 व 23 में अपनी भूमि में प्रवेश कर अपने किला नं. 24 में आसानी से प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी व अप्रार्थी ओमप्रकाश छोटे–छोटे काश्तकार है और 1–1 बिस्वा रास्ता से अपनी भूमि में आसानी से आवागमन कर काश्त कर सकते है। प्रार्थी की भूमि पूर्व में ही रास्ता पर स्थित होने से प्रार्थी को रास्ता की कोई आत्यंतिक आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर. टी. ए. की परिधि में ना आने से प्रार्थना पत्र विधि–विरूद्ध प्रस्तुत किया गया होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होना स्वीकार है परन्तु प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता न होने से माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें ।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

– :: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए., अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 21, 22, 23 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु आपसी सहमति से रास्ता छोड़ा हुआ है, जिसे स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 21, 22, 23 में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने पर सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः

ब्राण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आने जाने हेतु तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 पी बडी के खाता संख्या 7/7 के मुरबा नम्बर 12 के किला नम्बर 21/2, 22/1, 23/2 में 1–1 (एक–एक) बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनों को ही रास्ता की आवश्यकता है, इसलिए रास्ता की भूमि के बदले किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 09.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner